

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक : 695 / 35 / 2011 / अनु.-10


इन्दौर दिनांक 05.12.2011

### -:विज्ञप्ति:-

आयोग की बैठक दिनांक 19.10.2011 में आयोग द्वारा परीक्षा शाखा की नस्तियों/अभिलेखों के संधारण की अवधि के लिए निर्देश से संबंधित निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

#### परीक्षा शाखा - नस्तियों/अभिलेखों के संधारण की अवधि के लिए निर्देश

स.क्र.	नस्तियों/अभिलेखों का स्वरूप	संधारण की अवधि
1.	2.	3.
1.	परीक्षा संबंधी निर्देश/नियम (1) राज्य शासन निर्देश/नियम (2) आयोग के निर्देश/निर्णय/नियम	स्थायी
2.	विषय विशेषज्ञ तथा मूल्यांकन कर्ता (Valuers) जिन्हें ब्लेक लिस्ट किया गया है	स्थायी
3.	मूल परीक्षा परिणाम की नस्ती, संक्षेपिकाएं	दस वर्ष
4.	विधान सभा प्रश्न	पांच वर्ष
5.	आवेदकों की जन्म तिथि के निर्धारण संबंधी नस्तियां	पांच वर्ष
6.	परीक्षाओं के गोपनीय भुगतान से संबंधी नस्तियां	पांच वर्ष
7.	उत्तर पुस्तिकाएं	तीन माह (उक्त अवधि में प्राप्त न्यायालयीन मामले रिट याचिका के अंतिम निर्णय होने के बाद)
8.	फाईल एवं काउंटर फाईल, उत्तर पुस्तिकाओं के फ्लेप एवं मूल्यांकन संबंधी अन्य रिकार्ड	तीन माह
9.	परीक्षा व्यवस्था से संबंधित नस्तियां	तीन माह
10.	आवेदन पत्र	तीन माह
11.	परीक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित नस्तियां	तीन माह
12.	प्रवेश पत्रों की तैयारी, छपाई, वितरण संबंधी प्रकरण	तीन माह
13.	प्रश्न पत्र	तीन माह
14.	परीक्षा व्यवस्था के लिए दिये गये अग्रिम से संबंधित नस्तियां	समायोजन के एक वर्ष तक
टीप:-	उपरोक्त प्रकरणों में अवधि की गणना संबंधित परीक्षा के अंतिम चयनफल घोषित होने के दिनांक से की जायेगी।	
15.	म.प्र. राज्य सेवा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित दिनांक के पश्चात् संधारण अवधि	तीन माह (इनके प्राप्तांकों को चयनफल में नहीं जोड़ा जाता है।)

  
 सचिव (प्र.)  
 म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर